


**Before Hon'ble Chairman, National Green Tribunal, New Delhi**

**OA 1354 of 2024**

**INDEX**

<b>No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page</b>
<b>1.</b>	<b>Affidavit</b>	<b>1-2</b>
<b>2.</b>	<b>Notification of Infirmary</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Pipal a State Tree of Haryana: Notification</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>Images of Pipal Tree left by the Committee</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Direction of PCCF cum CWLW not to cut trees</b>	
<b>6.</b>	<b>CMOFF/N/2024/106589: CMOFF/N/2024/107305 mishandled</b>	
		 <b>Naresh Kadyan</b>
<b>Place: Ahmedabad</b>		<b>Date: 3-2-2025</b>

**AFFIDAVIT**

I, Naresh Kadyan Son of Late Shri Om Parkash Kadyan, Master Trainer in Animal Welfare to Govt. of India and Retired Member, Haryana State Committee for Slaughterhouses, Department of Urban Affairs and Local Bodies (Govt. of Haryana), C- 38, Rose Apartment, Delhi- 110085, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

It is humbly submitted that:

1. In Haryana, Pipal Tree adopted as a State Tree, and Notified without any Regulations and permission was not granted to destroy by the Forest Department.
2. Many birds made their nests on these trees but destroyed, ignoring the instruction of PCCF cum CWLW.
3. Roots of one Pipal Tree was very much existed but never covered by the committee, and there is no public witness was involved to sign report, which was not uploaded completely.
4. Two requests bearing No. CMOFF/N/2024/106589: CMOFF/N/2024/107305, were mishandled and report not acceptable.

It would be pertinent to mention here that:

1. The site is not feasible for a new project being many offices functioning in the premises, along with few structures already established:
  - A). Office of Deputy Director of Animal Husbandry.
  - B). Veterinary Hospital.

- C). Infirmary, which was declared and adopted but non-functional.
2. Few trees were more than 75 years old, and these trees were not awarded pension of Rs. 2500/-, the scheme is named as Pran Vayu Devta Pension Scheme. In the scheme the pension shall be given by the Urban Local Bodies department for the upkeep of the trees, installing plates, grilles, etc. The pension shall continue to increase every year, on lines similar to the Old Age Samman Pension Scheme in the state. The pension shall be given by the Urban Local Bodies department to the person on whose land the trees are growing, "Pran Vayu Devta Pension Scheme", aims at protecting old trees for their natural and cultural significance. Despite their significant role in the ecosystem, the decades-old trees are often overlooked in habitat conservation programs.

To put in place a legal mechanism to identify inventories, protect, and conserve such old trees, the Forest Department has also prepared draft Haryana (Declaration, Protection, and Preservation) Heritage Tree Rules 2021. Under the rules when a tree is notified as "heritage" in the state, any person or organization that cut fell or cause any damage to the heritage tree will be liable for punishment with a fine which may extend to Rs 500 or with imprisonment for a term which may extend to one month or both, as per the provisions of draft Heritage Tree Rules.

Place: Ahmedabad.

Date: 3-2-2025.



Naresh Kadyan  
Deponent

### VERIFICATION

I, Naresh Kadyan on solemn affirmation and oath state that all the facts stated above are correct to the best of my knowledge and belief and nothing is false or concealed. The contents being true I swear this affidavit. Solemnly affirmed at Ahmedabad on 3rd day of February 2025.



Naresh Kadyan  
Deponent

3038

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.), AUG. 20, 1999  
(SRVN. 29, 1921 SAKA)

Authorised English Translation

## HARYANA GOVERNMENT

## ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

## Order

The 20th August, 1999

No. S.O.192/C.A.59/60/S. 35/99.—In exercise of powers conferred under sub-section (i) of section 35 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Governor of Haryana hereby appoints Civil Veterinary Hospitals/Veterinary Institutions of the State situated at the following stations to be infirmaries for purposes of said sub-section :-

<b>AMBALA</b>	<b>SONEPAT</b>	<b>MAHINDERGARH</b>
1. Ambala	1. Sonapat	1. Mahindergarh
2. Naraingarh	2. Gohana	2. Narnaul
	3. Ganaur	
<b>PANCHKULA</b>	<b>ROHTAK</b>	<b>HISAR</b>
1. Devnagar	1. Rohtak	1. Hisar
2. Kalka	2. Meham	2. Hansi
<b>YAMUNANAGAR</b>	<b>JHAJJAR</b>	<b>FATEHABAD</b>
1. Jagadhri	1. Jhajjar	1. Fatehabad
	2. Bahadurgarh	2. Tohana
<b>KURUKSHETRA</b>	<b>GURGAON</b>	<b>SIRSA</b>
1. Thanesar	1. Gurgaon	1. Sirsa
2. Pehowa	2. Nuh	2. Dabwali
	3. Ferozpur Jhirka	3. Ellenabad
<b>KAITHAL</b>	<b>FARIDABAD</b>	<b>JIND</b>
1. Kaithal	1. Faridabad	1. Jind
2. Guhla	2. Ballabgarh	2. Safidon
	3. Palwal	3. Narwana
<b>KARNAL</b>	4. Holdel	
1. Karnal	5. Hathin	
2. Assandh		
<b>PANIPAT</b>	<b>REWARI</b>	<b>BHIWANI</b>
1. Panipat	1. Rewari	1. Bhiwani
	2. Kosli	2. Dadri
		3. Loharu
		4. Siwani

VEENA EAGLETON,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Animal Husbandry Department.

22477 LR(H)—Govt. Press, U.T., Chd.

[Extract from the Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 11th October, 1983]

HARYANA GOVERNMENT

WILD LIFE PRESERVATION DEPARTMENT

Notification

The 7th/11th October, 1983

No. 4182-FT-IV-83/13937.—The Governor of Haryana is pleased to declare 'PEEPAL' as a State Tree.

G. L. BAILUR,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Forests and Wild Life Preservation Department.

11027 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.



Letter Head No. 11/2018

**वन एवं वन्य प्राणी विभाग, हरियाणा सरकार**

**कार्या: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा, पंचकुला**  
वन भवन, प्लॉट नं० सी-18, सेक्टर-8, पंचकुला, पूनाच नं० 0172-2561224, 2563662 ई-मेल: pccf.cww-hfd@hry.gov.in

---

कमांक: 2400 दिनांक: 27.12.2021

सेवा में,

सर्व विभागाध्यक्ष  
हरियाणा सरकार।

विषय: पक्षियों द्वारा घासलों/आवास हेतु प्रयोग किये जाने वाले हरे व सूखे वृक्षों को न काटने  
बारे।


ऊपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कई पर्यावरण प्रेमियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने इस कार्यालय के नोटिस में लाया है कि सूखे पेड़ों के काटने से कई पक्षियों के आवास खतरे में है। इसके चलते कई पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।

यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पक्षी सूखे वृक्षों व उनकी डालियों पर बैठना और आराम करना खूब पसंद करते हैं। यही वृक्ष जब खोखले होते हैं तो उनके खोखलों में तोता व कठफोड़बा आदि पक्षी अंडे देते हैं और उनका जीवन चलता है।

ऊपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ ऐसे हरे-भरे वृक्ष हैं जिनको वर्ष भर पक्षियों की भिन्न-2 प्रजातियां आवास के रूप में प्रयोग करती हैं।


अतः अनुरोध है कि आपके अधीन पड़ने वाले सूखे वृक्ष यदि मानव के लिए खतरा न हों तो उन्हें काटा ना जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे हरे-भरे वृक्ष जिन्हें विभिन्न प्रजातियों के पक्षी वासरथल के रूप में प्रयोग करते हैं, सुरक्षित रखे जाए।

कृपया इस पत्र की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं  
 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
 हरियाणा, पंचकुला।

पू०कमांक: 2401 दिनांक: 27.12.2021

इसकी एक प्रति श्री विनोद कड़वासरा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्वनोई सभा, हरियाणा के पत्र कमांक ABRBSH/2021/95 दिनांक 24.12.2021 की प्रति सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), हरियाणा, पंचकुला को भेजते हुए अनुरोध किया जाता है कि जहां-2 संभव हो, ऐसे सभी वृक्ष (चाहे हरे या सूखे) जिन्हें वन्य जीवों द्वारा वासरथल के रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, को काटने की अनुमति न दी जाए।

  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं  
 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,  
 हरियाणा, पंचकुला।

सी0एम0 विण्डो (ए0टी0आर0) प्रारूप	
1	सी0एम0 विण्डो शिकायत संख्या : CMOFF/W/2024/106589 पंजीकरण की तिथि : 04/11/24
2	शिकायत का विवरण : Criminal Conspiracy by Custodians of a group of Piple Tree श्रेणी : विशेष विवरण :
3	नागरिक से सम्पर्क का विवरण : नाम : Navesh Kadian मोबाईल नं0 : 9813010595 पता : C-38, Raza apartment Prashant Vikar Lokhimi, Delhi, Haryana वैकल्पिक सम्पर्क नं0 : किस माध्यम से नागरिक से सम्पर्क किया या बुलाया गया ? पंजीकृत डाक/ फोन और एस0एम0एस0 द्वारा :
4	जाँच पर अंतरिम रिपोर्ट (जाँच अधिकारी द्वारा) जाँच की तिथि : 16/10/24 जाँच अधिकारी द्वारा निष्कर्ष :
5	क्या मामला न्यायालय में विचारधीन है : हाँ / नहीं यदि हाँ, केस नं0 : न्यायालय का नाम : नही शीर्षक : अगली सुनवाई की तारीख : (यथा स्थिति के आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न करें, यदि कोई हो) कानूनी प्रावधान :
6	जाँच पर अंतिम रिपोर्ट (जाँच या रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा) तारीख व विवरण के साथ : कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि : कार्यवाही समाप्त करने की तिथि (जिस तारीख को निष्कर्ष निकाला गया था) यदि मौके का मुआयना किया गया है तो तस्वीर संलग्न करें : कार्यवाही के बारे में विवरण : इस संबंध में एक मित्रांगला ईमि पीपल के फंड व हस्त पंडी की वरिष्ठ का मामला पशुपालन एवं डैरिंग विभाग से सम्बन्धित नहीं है। रिपोर्ट का लेखक (अधिकारी का नाम और पद) Dr. Jashwant Singh Ror
7	नागरिक की संतुष्टि : क्या नागरिक प्रस्तावित समाधान से संतुष्ट है : हाँ / नहीं नागरिक के हस्ताक्षर (नागरिक का नाम) प्रख्यात नागरिक द्वारा की गई जाँच पड़ताल : प्रख्यात नागरिक का नाम : तिथि, जब प्रख्यात नागरिक से मामले के बारे में सम्पर्क किया गया था : क्या प्रख्यात नागरिक की मौजूदगी में नागरिक को सलाह दी गई है : हाँ / नहीं प्रख्यात नागरिक की टिप्पणियाँ (यदि कोई हैं) : नागरिक के हस्ताक्षर (नागरिक का नाम)
8	विभाग के जिला उपायुक्त (वैकल्पिक) / नोडल ऑफिसर की टिप्पणियाँ (वैकल्पिक) Dr. Sukhdev Rathee Joint Director Animal Husbandry & Dairying Deptt. Haryana, Panchkula. जिला उपायुक्त / विभाग के नोडल ऑफिसर के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)

## सी0एम0 विण्डो (ए0टी0आर0) प्रारूप

1	सी0एम0 विण्डो शिकायत संख्या : <u>CMOFF/W/2024/07305</u> पंजीकरण की तिथि : <u>05/11/2024</u>
2	शिकायत का विवरण : <u>Crimined conspiracy by custodians of a group of Piple</u> श्रेणी : विशेष विवरण :
3	नागरिक से सम्पर्क का विवरण : नाम : <u>Naveesh Kadyaram</u> * मोबाईल नं0 : <u>9818010595</u> पता : <u>C-28, Rose Apartment, Basant Vihar</u> <u>Sec-14, Rohini Delhi, 110085</u> वैकल्पिक सम्पर्क नं0 : किस माध्यम से नागरिक से सम्पर्क किया या बुलाया गया ? पंजीकृत डाक/ फोन और एस0एम0एस0 द्वारा :
4	जाँच पर अंतरिम रिपोर्ट (जाँच अधिकारी द्वारा) जाँच की तिथि : <u>16/12/24</u> जाँच अधिकारी द्वारा निष्कर्ष :
5	क्या मामला न्यायालय में विचारधीन है : <u>हाँ / नहीं</u> यदि हाँ, केस नं0 : न्यायालय का नाम : <u>राष्ट्र</u> शीर्षक : अगली सुनवाई की तारीख : (यथा स्थिति के आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न करें, यदि कोई हो) कानूनी प्रावधान :
6	जाँच पर अंतिम रिपोर्ट (जाँच या रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा) तारीख व विवरण के साथ : कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि : कार्यवाही समाप्त करने की तिथि (जिस तारीख को निष्कर्ष निकाला गया था) यदि मौके का मुआयना किया गया है तो तस्वीर संलग्न करें : कार्यवाही के बारे में विवरण : <u>इस संबंध में जांच किताबों के पीछे के पन्ने</u> <u>द्वारा पीडी. जी. ए. के. नामला परामर्श से इतरंग विभाग से सल्लाह ली</u> <u>दी</u> रिपोर्ट का लेखक (अधिकारी का नाम और पद) <u>C</u> <u>Dr. Jashwant Singh Poo</u>
7	नागरिक की संतुष्टि : क्या नागरिक प्रस्तावित समाधान से संतुष्ट है : <u>हाँ / नहीं</u> नागरिक के हस्ताक्षर (नागरिक का नाम) प्रख्यात नागरिक द्वारा की गई जाँच पड़ताल : प्रख्यात नागरिक का नाम : तिथि, जब प्रख्यात नागरिक से मामले के बारे में सम्पर्क किया गया था : क्या प्रख्यात नागरिक की मौजूदगी में नागरिक को सलाह दी गई है : <u>हाँ / नहीं</u> प्रख्यात नागरिक की टिप्पणियाँ (यदि कोई हैं) : नागरिक के हस्ताक्षर (नागरिक का नाम)
8	विभाग के जिला उपायुक्त (वैकल्पिक) / नोडल ऑफिसर की टिप्पणियाँ (वैकल्पिक) Dr. Sukhdev Rathee Joint Director Animal Husbandry & Dairying Deptt. Haryana, Panchkula. जिला उपायुक्त / विभाग के नोडल ऑफिसर के हस्ताक्षर (वैकल्पिक)